

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला खान अधिकारी, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**जिला खान अधिकारी, हरिद्वार** के माह 04/2017से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस. दरियाल, एवं बृज भूषण मणि त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा आशीष तड़ियाल, ले.प.द्वारा दिनांक 23.07.2018 से 03.08.2018 तक श्री पी. के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-1

1. **(1)परिचयात्मक:** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आशीष सिंह तड़ियाल, ले0प0 व श्री डी0के0 श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.06.2017 से 22.06.2017 तक श्री नवीनचन्द्र शंखधर, लेखा परीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-** "सम्पूर्ण सम्पूर्ण जनपद हरिद्वार
3. (ii) (अ)**राजस्व विवरण**

विगत वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है।

वर्ष	अर्जितराजस्व (रू लाख में)
2015-16	924.83
2016-17	1347.76
2017-18	3380.10

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है: (लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधि व्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(स) केन्द्र पुरोनिर्धारित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिव्यय(+)	बचत(-)
शून्य					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन:** शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0 ओ0 द्वारा सभी जनपदों को किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:**

सचिव-अपर सचिव-निदेशक- अपर निदेशक- संयुक्त निदेशक-उपनिदेशक(भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी)- खान अधिकारी/सहायक भूवैज्ञानिक- सर्वेक्षक

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि:** लेखापरीक्षामें जिला खान अधिकारी, हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला खान अधिकारी, हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi)विस्तृत जांच हेतु माह का चयन:-

**राजस्व:** माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

**व्यय:** माह.....को विस्तृत जांच(व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :-लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डीपीसी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर:-1 निर्माण इकाइयों द्वारा अवैध खनन करने के बावजूद अर्थदण्ड आरोपित न किया जाना ₹4.82 करोड़।**

“उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्टर) चुगान नीति, 30 सितम्बर 2016 के उपबन्ध 23 (2) के अनुसार सरकारी निर्माण इकाइयों जैसे लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, डी0जी0बी0आर0 (ग्रेफ), सिंचाई विभाग आदि द्वारा सड़क, पहुँच मार्ग आदि बनाए जाने के दौरान निर्माण स्थल से निकलने वाले बोल्टर, पत्थर, बजरी आदि को निर्माण कार्य में उपयोग हेतु निर्माण आगणन (Estimate) की जाँच/निरीक्षण व मूल्यांकन उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जन पद स्तरीय समिति (जिला खान अधिकारी, सदस्य सचिव) से कराते हुये उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम 68 के अंतर्गत नियम 72 को शिथिल करते हुये नियमानुसार अनुज्ञा पत्र संबन्धित जिलाधिकारी के द्वारा अल्प अवधि हेतु स्वीकृत किया जाएगा। सरकारी निर्माण कार्य हेतु उपखनिज के उपयोग से पूर्व आवेदन खनन अनुज्ञा अथवा खनन पट्टा हेतु निर्धारित प्रारूप MM-8/MM-1 तथा तदनुसार आवेदन शुल्क क्रमशः अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 5000/- व चुगान पट्टे हेतु ₹100000/-निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराते हुये आवेदन पत्र जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा तांकि नियमानुसार खनन अनुज्ञा पत्र अथवा खनन पट्टा स्वीकृत किया जा सके।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निर्माण इकाइयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में एक भी अनुज्ञा पत्र एवं खनन पट्टा हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया था। जबकि 05 निर्माण इकाइयों के द्वारा रॉयल्टी के रूप में ₹ 12056071/- जमा किया गया था। (सूची संलग्न) यदि उक्तानुसार अनुज्ञा पत्र और पट्टा स्वीकृत किये जाते तो आवेदन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता, लेकिन विभाग के द्वारा नीति के प्रावधानों के अनुसार कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण निर्माण इकाइयों द्वारा उपखनिजो का अवैध खनन, कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया था। जिससे राजस्व हानि हुई। प्रदेशांतर्गत किसी भी प्रकार का उप खनिज बिना अनुज्ञा पत्र /पट्टा के खनन नहीं किया जा सकता है लेकिन निर्माण इकाइयों के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिजों का खनन कर निर्माण कार्यों में प्रयुक्त किया गया और रॉयल्टी जमा की गयी थी। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियमावली, 2005 के संशोधन दिनांक 13 नवंबर, 2016 के अनुसार अवैध उत्खनित उपखनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुणा अर्थदण्ड आरोपित कर वसूल किये जाने का प्रावधान है। परन्तु खनन विभाग द्वारा अर्थदण्ड आरोपित न किये जाने के कारण शासन को ₹48224284.00 (12056071 x5 =60280355 - 12056071) की हानि हुई।

यह भी उल्लेखनीय है कि जिले में कार्यरत कुल 14 निर्माण इकाइयों में से आतिथि तक 8 इकाइयों की सूचना उपलब्ध कराया गया। शेष 6 इकाइयों की भी सूचना यथाशीघ्र उपलब्ध कराना लेखा परीक्षा को प्रतीक्षित रहेगा।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा स्वीकार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः नियमावली /नीति के प्रावधानानुसार कार्यवाही न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹4.82 करोड़ की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

जिला हरिद्वार के निर्माण इकाई कार्यालयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि का विवरण

क्रसं	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि
1	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड लक्सर, हरिद्वार	
2	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खंड, हरिद्वार	2146128.00
3	अधिशाली अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, रुड़की	6353667.00
4	अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), हरिद्वार	2588650.00
5	अधिशाली अभियंता, सिंचाई अनुसंधान संस्थान खण्ड, रुड़की	Nil
6	अधिशाली अभियंता, ट्यूब वेल खण्ड, रुड़की	Nil
7	अधिशाली अभियंता, ट्यूब वेल खण्ड, बाहदराबाद, हरिद्वार	
8	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुड़की	
9	अधिशाली अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, हरिद्वार	938884.00
10	अधिशाली अभियंता, पेयजल निर्माण निगम, हरिद्वार	
11	अधिशाली अभियंता, लघु सिंचाई खंड, हरिद्वार	28742.00
12	अधिशाली अभियंता, अभिकल्प खण्ड,(design Divison) रुड़की	Nil
13	अधिशाली अभियंता, सिंचाई जल स्रोत खण्ड बाहदराबाद, हरिद्वार	
14	अधिशाली अभियंता, PMGSY खण्ड, हरिद्वार	
	<b>योग</b>	<b>12056071</b>

## भाग 2 (ब)

**प्रस्तर:01- खनिज की कम मात्रा निर्धारण से राजस्व क्षति ₹68.27 करोड़।**

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 2026/VII-I/2018/56 ख/16 के अनुसार गौला नदी के सापेक्ष गंगा नदी के लाटों में उपखनिज निकासी की मात्रा कम निर्धारित किया जाना इंगित किया गया था। इसके साथ ही समस्त लाटों में 5000 घन मीटर प्रति हेक्टेयर निर्धारित करने हेतु एवं उपखनिज की निकासी की मात्रा में वृद्धि किए जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देश दिये गए थे।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा वन विकास निगम को उपखनिज की 07 लाटों को स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत खनन लाटों के सापेक्ष मात्रा रवासन-1 चुगान लाट के सापेक्ष 5000 घन मीटर प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया था, और रॉयल्टी भी जमा किया गया था। लेकिन अन्य 06 चुगान लाटों के सापेक्ष 635.50 से 3141.50 घन मीटर प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया था, जिसके फलस्वरूप ₹682689700 (961121700 -278432000) कम निर्धारित किया गया था (विवरण पत्र संलग्न)।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः रॉयल्टी का निर्धारण सही दर से न करने के कारण राजस्व क्षति ₹68.27 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## संलग्नक

क्र सं	लाट का नाम	लाट का क्षेत्रफल (हेक्ट०)	पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित मात्रा (5000 घ.मी. प्रति हेक्टे. में)	प्राक्कलन योग्य मूल्य ₹154 प्रति घन मीटर	वास्तविक निर्धारित मात्रा प्रति हेक्टेयर	कुल निर्धारित मात्रा घन मीटर में	वास्तविक निर्धारित मूल्य ₹154 प्रति घन मीटर	लोटवार कम निर्धारण (रॉयल्टी ₹में)	वास्तविक जमा (रॉयल्टी ₹में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			(3x4)	(4x5)		(3x6)	(7x8)	(5-8)	
1	रवासन-1	99.19	495950	76376300	5000.5	496000	76384000	+7700	74732453
2	रवासन-2	100.5 9	502950	77454300	3141.5	316000	48664000	28790300	15813957
3	गंगा श्यामपुर	219.4 42	1097210	168970340	1403.6	308000	47432000	12153834 0	45940829
4	गंगा चिड़ियापुर	325.7 4	1628700	250819800	635.5	207000	31878000	21894180 0	11147830
5	गंगा बिशनपुर	237.9 18	1189590	183196860	701.9	167000	25718000	15747886 0	19477675
6	कोटावली	74.76	373800	57565200	1016.6	76000	11704000	45861200	16115772
7	गंगा भोगपुर	190.5 7	952850	146738900	1485	238000	36652000	11008690 0	10022845
				961121700			278432000	68268970 0	193251361

(1)(प्राक्कलन योग्य रॉयल्टी - वास्तविक निर्धारित रॉयल्टी = कम निर्धारित रॉयल्टी)

(1) 961121700 - 278432000=682689700



## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर:-02 ईट भट्टों के संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹2.94 करोड़।**

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1207/VII-1/24-ख/2007 देहरादून दिनांक 07 अगस्त 2015 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली 2015 के अनुसार ईट की रॉयल्टी की दर रु. 2000/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात् उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 द्वारा ईट की रॉयल्टी की दर रु. 1000/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। इसके बाद उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1754/VII-1/24-ख/07टीसी देहरादून दिनांक 8 दिसम्बर 2016 द्वारा ईट की रॉयल्टी की दर ₹100/-प्रति हजार ईट निर्धारित की गयी थी। उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1033/VII-1/2015/146-ख/2010 देहरादून दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा ईट भट्टे से न्यूनतम 15 पाये हेतु 20 लाख ईट उत्पादन का मानक निर्धारित करते हुए और प्रति पाया 1.00 लाख ईट अतिरिक्त मानते हुए गणना करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि संलग्न सूची में दर्शित 104 ईट भट्टों द्वारा वर्ष 2017-18 में निर्धारित मानक के अनुसार 293500000 ईट कुल उत्पादन हुआ था। जिस पर ₹100/- प्रति हजार की दर से ₹293500000/- राजस्व की वसूली नहीं की गयी थी (सूची संलग्न है)।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः ईट भट्टा संचालकों द्वारा रॉयल्टी जमा न कराये जाने के परिणामस्वरूप ₹2.94 करोड़ राजस्व क्षति का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## जनपद हरिद्वार के ईट भट्टों के वर्ष 2017-18 का विवरण।

क्रम	ईट भट्टे का नाम व कार्य स्थल का नाम	पायो की संख्या	निर्धारित मानक के अनुसार ईट का उत्पादन	देय रॉयल्टी की धनराशि (₹100 प्रति हजार ईट)
1	सर्वश्री अमर ईट उद्योग लण्डौरा, रुड़की ।	25	3000000	300000
2	सर्वश्री सोहेल ब्रिक फील्ड, बिज्ञौनी।	21	2600000	260000
3	सर्वश्री ए वन ब्रिक फील्ड कम्पनी, जौनपुर लण्डौरा।	26	3100000	310000
4	सर्वश्री किसान ब्रिक फील्ड, बुडपुर जट	21	2600000	260000
5	सर्वश्री वैभव लक्ष्मी ब्रिक फिल्ड बिज्ञौनी।	23	2800000	280000
6	सर्वश्री गगन ईट उद्योग, बिज्ञौनी रुड़की	23	2800000	280000
7	सर्वश्री सूर्या ब्रिक फील्ड भगवानपुर चन्दरपुर।	21	2600000	260000
8	सर्वश्री किसान ब्रिक कलियर, रुड़की	21	2600000	260000
9	सर्वश्री गगन भट्टा, भगवानपुर, चन्दनपुर।	28	3300000	330000
10	सर्वश्री वीर बाबा फील्ड, घोसीपुरा रुड़की ।	23	2800000	280000
11	सर्वश्री दो आब भट्टा क0 भा0च0 रुड़की।	23	2800000	280000
12	सर्वश्री एकता ब्रिक फील्ड, जौरासी।	23	2800000	280000
13	सर्वश्री जनता ब्रिक फील्ड, लण्डौरा।	21	2600000	260000
14	सर्वश्री किसान ब्रिक कलियर, रुड़की	24	2900000	290000
15	सर्वश्री बिरला ब्रिक कम्पनी, लण्डौरा।	23	2800000	280000

16	सर्व श्री आसरा ब्रिक फील्ड सलारपुर रूडकी	23	2800000	280000
17	सर्वश्री पारस ब्रिक फील्ड गाधारौना रूडकी	23	2800000	280000
18	सर्वश्री षमा ब्रिक सप्लाई, लण्ढौरा।	21	2600000	260000
19	सर्वश्री साबरी ब्रिक इण्डस्ट्रीज, गाधारौना।	23	2800000	280000
20	सर्वश्री सूरज ब्रिक फील्ड लण्ढौरा।	23	2800000	280000
21	सर्वश्री साबरी ब्रिक फील्ड गाधारौना, अकबरपुर।	23	2800000	280000
22	सर्वश्री डमरू ब्रिक फील्ड बिझौनी।	23	2800000	280000
23	सर्वश्री मिलाप ब्रिक फील्ड जैनपुरी झंझेरी।	23	2800000	280000
24	सर्वश्री टी0आर0 सुरेन्द्र कुमार नगलाईमरती	27	3200000	320000
25	सर्वश्री आकाष ब्रिक फील्ड लण्ढौरा	21	2700000	260000
26	सर्वश्री आर0के0 ब्रिक नगला ईमरती	26	3100000	310000
27	सर्वश्री प्रदीप ईट, उद्योग लण्ढौरा।	23	2800000	280000
28	सर्वश्री गोयल ब्रिक इण्डस्ट्रीज लण्ढौरा।	23	2800000	280000
29	सर्वश्री यूनिक ब्रिक फील्ड ( पूर्व का नाम जय भवानी ब्रिक फील्ड) लण्ढौरा यूनिट-1 प्रथम।	24	2900000	290000
30	सर्वश्री यूनिक ब्रिक सप्लाई जैनपुर झंझेरी रूडकी ( पूर्व का नाम अमन ब्रिक फील्ड) यूनिट-2 द्वितीय।	23	2800000	280000
31	सर्वश्री गगन ब्रिक उद्योग जबरदस्तपुर लण्ढौरा।	23	2800000	280000
32	सर्वश्री अनिल ब्रिक सप्लाई लण्ढौरा।	23	2800000	280000
33	सर्वश्री अनिल ईट, उद्योग भगवानपुर, चन्दनपुर।	22	2700000	270000
34	सर्वश्री महालक्ष्मी ईट उद्योग जैनपुर झंझेरी रूडकी	23	2800000	280000

35	सर्वश्री गगन ब्रिक क0 भगवानपुर चन्दरपुर।	23	2800000	280000
36	सर्वश्री गगन ब्रिक सप्लाई टाण्डा भनहेड़ा रूड़की	23	2800000	280000
37	सर्वश्री सिंघल ब्रिक फील्ड, नगलाईमरती।	23	2800000	280000
38	सर्वश्री भारत ब्रिक सप्लाई लण्ढौरा	23	2800000	280000
39	सर्वश्री भारत ब्रिक फील्ड ढन्ढेरा रूड़की।	23	2800000	280000
40	सर्वश्री उत्तरांचल ब्रिक फील्ड ढन्ढेरा रूड़की।	23	2800000	280000
41	सर्वश्री मिलन ब्रिक फील्ड लिब्वरहेड़ी	23	2800000	280000
42	सर्वश्री बुलन्द ब्रिक फील्ड जबरदस्तपुर लण्ढौरा।	23	2800000	280000
43	सर्वश्री नरेष ईट उद्योग नगलाईमरती।	23	2800000	280000
44	सर्वश्री गणेष ब्रिक फील्ड गाधारोना रूड़की।	23	2800000	280000
45	सर्वश्री त्यागी ब्रिक फील्ड, नागाइमरती।	23	2800000	280000
46	सर्वश्री त्यागी ब्रिक सप्लाई मुण्डलाना रूड़की।	23	2800000	280000
47	सर्वश्री हीरा ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर रूड़की	25	3000000	300000
48	सर्वश्री हीरा ब्रिक सप्लाई इन्डोरी, भगवानपुर चन्दनपुर।	23	2800000	280000
49	सर्व श्री चौधरी ब्रिक सप्लाई लिब्वरहेड़ी रूड़की।	27	3200000	320000
50	सर्वश्री चौधरी ब्रिक उद्योग कसमपुर लिब्वरहेड़ी रूड़की	23	2800000	280000
51	सर्वश्री साबरी ब्रिक कम्पनी लण्ढौरा रूड़की।	27	3200000	320000
52	सर्वश्री श्रीराम ईट उद्योग रहमतपुर रूड़की।	23	2800000	280000
53	सर्वश्री उग्रसेन अमरनाथ भट्टा लण्ढौरा	21	2600000	260000

	रुड़की ।			
54	सर्वश्री रुड़की ब्रिक फील्ड रहमतपुर ।	23	2800000	280000
55	सर्वश्री आरजू ब्रिक फील्ड जैनपुर लण्ढौरा, रुड़की	23	2800000	280000
56	सर्वश्री स्वागत ब्रिक फील्ड जैनपुर रुड़की	23	2800000	280000
57	सर्वश्री जमना ईट उद्योग लिब्ररहेडी	23	2800000	280000
58	सर्वश्री गगन ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर ।	27	3200000	320000
59	सर्वश्री कृष्णा ब्रिक फील्ड, नगलाइमरती ।	23	2800000	280000
60	सर्वश्री सजल ब्रिक फील्ड, लण्ढौरा ।	23	2800000	280000
61	सर्वश्री सागर ब्रिक फील्ड, भगवानपुर, चन्दनपुर ( पूर्व का नाम नगर ब्रिक कम्पनी)	23	2800000	280000
62	सर्वश्री न्यू स्वागत ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर ।	19	2400000	240000
63	सर्वश्री षमा ब्रिक फील्ड, गाधारौना रोड़ ।	23	2800000	280000
64	सर्वश्री साबरी ब्रिक उद्योग गाधारौना रुड़की ।	23	2800000	280000
65	सर्वश्री लोहना ब्रिक फील्ड लिब्ररहेडी ।	23	2800000	280000
66	सर्वश्री साबरी ब्रिक सप्लायर, गाधारौणा रोड़	23	2800000	280000
67	सर्वश्री दुर्गा ब्रिक फील्ड, रेलवे रोड़ लण्ढौरा ।	25	3000000	300000
68	सर्वश्री ईजहार ब्रिक फील्ड बिजौली ।	23	2800000	280000
69	सर्वश्री गोल्डन ब्रिक सप्लायर टान्डा भन्हेड़ा ।	23	2800000	280000
70	सर्वश्री गौरी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर रुड़की	23	2800000	280000
71	सर्वश्री अम्बा ब्रिक फील्ड लण्ढौरा ।	27	3200000	320000

72	सर्वश्री अषोक ब्रिक फील्ड नगरलाईमरती ।	19	2400000	240000
73	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड, लिब्ररहेड, रुड़की ।	23	2800000	280000
74	सर्वश्री उत्तम ब्रिक फील्ड, गाधारौना लण्ढौरा ।	21	2600000	260000
75	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड क0 लिब्ररहेडी रुड़की ।	27	3200000	320000
76	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड द्वितीय नगलाचीना ।	23	2800000	280000
77	सर्वश्री सोमी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर रुड़की	23	2800000	280000
78	सर्वश्री ऑचल ब्रिक फील्ड, बिझौली, रुड़की ।	23	2800000	280000
79	सर्वश्री आदर्ष ब्रिक फील्ड, नत्थूखेड़ी ।	27	3200000	320000
80	सर्व श्री राम ब्रिक फील्ड भगवानपुर चन्दनपुर	27	3200000	320000
81	सर्व श्री विष्णु ब्रिक फील्ड, नत्थूखेड़ी ।	27	3200000	320000
82	सर्वश्री के0के0 ब्रिक सप्लायर कलियर ।	23	2800000	280000
83	सर्वश्री रोषन ब्रिक कम्पनी नगलाईमरती ।	19	2400000	240000
84	सर्वश्री चॉद ब्रिक उद्योग नगलाईमरती ।	19	2400000	240000
85	सर्वश्री साँई ब्रिक फील्ड, बिझौली रुड़की ।	23	2800000	280000
86	सर्वश्री राव ब्रिक फील्ड, ढन्ढेरा ।	23	2800000	280000
87	सर्वश्री नाज ब्रिक कम्पनी पिरपुरा मंगलौर रुड़की ।	19	2400000	240000
88	सर्वश्री दो आब ईट उद्योग नगलाईमरती रुड़की ।	23	2800000	280000
89	सर्वश्री महालक्ष्मी ईट उद्योग भगवानपुर, चन्दनपुर ।	23	2800000	280000

90	सर्वश्री सवेरा ईट उद्योग नगलाईमरती।	23	2800000	280000
91	सर्वश्री शिव ब्रिक उद्योग बुडपुरजट, रूडकी।	23	2800000	280000
92	सर्वश्री अपना ब्रिक फील्ड( नया नाम उत्तराखण्ड ब्रिक फील्ड ) लण्ढौरा	19	2400000	240000
93	सर्व श्री दोआब भट्टा कम्पनी, मुण्डलाना, रूडकी।	27	3200000	320000
94	सर्वश्री हिमालय ब्रिक फील्ड रहमतपुर।	23	2800000	280000
95	सर्वश्री शिवम् ब्रिक फील्ड, नगलाईमरती।	23	2800000	280000
96	सर्वश्री सैनी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर	23	2800000	280000
97	सर्वश्री आदर्ष ब्रिक सप्लाई लिब्बाहेडी, रूडकी	23	2800000	280000
98	सर्वश्री माँ दुर्गा ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर।	27	3200000	320000
99	सर्वश्री कमल ब्रिक फील्ड, अकबरपुर, ढाडेकी, रूडकी	23	2800000	280000
100	सर्वश्री गोल्डन ब्रिक फील्ड,भन्हेडा टाण्डा रूडकी	23	2800000	280000
101	सर्व श्री दो आब भट्टा क0 घोरीपुरा मंगलौर	23	2800000	280000
102	सर्वश्री बालाजी भट्टा कम्पनी मुण्डलाना रूडकी	27	3200000	320000
103	सर्वश्री राना ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर।	23	2800000	280000
104	सर्वश्री षान ब्रिक फील्ड गाधारौना रोड रूडकी	22	2700000	270000
	<b>कुल योग :-</b>		<b>293500000</b>	<b>29350000</b>

## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर:-03 डेड रेंट न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹11.25 करोड़।**

उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली,2001 के नियम 69 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू,बजरी,बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधान 15 के अनुसार पट्टाधारक के द्वारा पट्टा धनराशि/उपरिहार्य भाटक की धनराशि का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्ष में पट्टा विलेख में निर्धारित मासिक किश्तों में निर्धारित समयांतर्गत किया जाएगा एवं 16 के अनुसार निर्धारित समयांतर्गत जमा न करने पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 के अनुसार प्रति एकड़ वार्षिक ऊपरिहार्य भाटक ₹80000 निर्धारित किया गया है।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उत्तराखण्ड वन विकास निगम को जिला हरिद्वार के वन क्षेत्र में प्रवाहित नदी तल के 07 खनन लॉट स्वीकृत किया गया था, से संबन्धित पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 में अपरिहार्य भाटक से रॉयल्टी कम जमा किया गया था। उल्लिखित नियमानुसार गणना करने पर वर्ष 2017-18 में ₹112517933.00 (विवरण पत्र संलग्न) अपरिहार्य भाटक कम जमा किया गया। उपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। शेष उपरिहार्य भाटक जमा करने की दिनांक तक नियमानुसार ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः डेड रेंट न लिए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹11.25 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।



## संलग्नक

## वन विकास निगम के द्वारा देय अपरिहार्य भाटक का विवरण

क्रम सं.	लाट का नाम	लाट का क्षेत्रफल (हेक्ट0)	लाट का क्षेत्रफल (एकड़ में)	रायल्टी/वार्षिक अपरिहार्य भाटक (रू 80 हजार प्रति एकड़)	वास्तविक जमा राँल्टी	देय वार्षिक अपरिहार्य भाटक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(4x80000)		(5-6)
1	रवासन-1	99.19	245.098	19607840	74732453	-
2	रवासन-2	100.59	248.557	19884560	15813957	4070603
3	गंगा श्यामपुर	219.442	542.241	43379280	45940829	-
4	गंगा चिड़ियापुर	325.74	804.903	64392240	11147830	53244410
5	गंगा बिशनपुर	237.918	587.895	47031600	19477675	27553925
6	कोटावली	74.76	184.731	14778480	16115772	-
7	गंगा भोगपुर	190.57	470.898	37671840	10022845	27648995
					योग	112517933

## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर:-04 आवेदन शुल्क जमा न किए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹2.60 करोड़ ।**

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास विभाग के पत्रांक 1033/VII-1/2015/146ख/2010 दिनांक 31 जुलाई 2015 के द्वारा ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र एम0 एम0- 8 में जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित आवेदन शुल्क ₹5.00 लाख (रुपाँच लाख) सहित प्रस्तुत किया जाएगा। जिलाधिकारी के द्वारा खान अधिकारी एवं उपजिलाधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर ईट भट्टा स्वीकृति/संचालन संबंधी अनुज्ञा 01 वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र एम0 एम0 10 स्वीकृत किया जाएगा। तत्पश्चात उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग -1 के पत्रांक 1725 /VII-1/2015/146ख/2010 देहरादून दिनांक 30 अक्टूबर 2015 के द्वारा ईट भट्टा के स्वीकृति/संचालन हेतु आवेदन शुल्क ₹2.50 लाख (रुदो लाख पचास हजार)निर्धारित किया गया।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 104 ईट भट्टों के संचालकों द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए प्रति भट्टा आवेदन शुल्क ₹ 250000/- जमा किया जाना अपेक्षित था। जबकि ईट भट्टों के संचालकों द्वारा कोई भी धनराशि जमा नहीं की गयी थी। इस प्रकार ईट भट्टों के संचालकों द्वारा वर्ष 2017-18 में ₹26000000/- (104X250000) जमा किया जाना अपेक्षित था (सूची संलग्न है)। उक्त धनराशि पर जमा करने की दिनांक तक 24% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरांत कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है।

अतः आवेदन शुल्क जमा न किए जाने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹2.60 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## संलग्नक

## ईट भट्टों द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु अदा किया गया आवेदन शुल्क का विवरण

क्रम संख्या	ईट भट्टे का नाम व कार्य स्थल का नाम	पायो की संख्या	अपेक्षित धनराशि	जमा धनराशि	आवेदन शुल्क की बकाया धनराशि
1	सर्वश्री अमर ईट उद्योग लण्डौरा, रुड़की ।	25	250000.00	शून्य	250000.00
2	सर्वश्री सोहेल ब्रिक फील्ड, बिझौनी ।	21	250000.00	शून्य	250000.00
3	सर्वश्री ए वन ब्रिक फील्ड कम्पनी, जौनपुर लण्डौरा ।	26	250000.00	शून्य	250000.00
4	सर्वश्री किसान ब्रिक फील्ड, बुडपुर जट	21	250000.00	शून्य	250000.00
5	सर्वश्री वैभव लक्ष्मी ब्रिक फिल्ड बिझौनी ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
6	सर्वश्री गगन ईट उद्योग, बिझौनी रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
7	सर्वश्री सूर्या ब्रिक फील्ड भगवानपुर चन्दरपुर ।	21	250000.00	शून्य	250000.00
8	सर्वश्री किसान ब्रिक कलियर, रुड़की	21	250000.00	शून्य	250000.00
9	सर्वश्री गगन भट्टा, भगवानपुर, चन्दनपुर ।	28	250000.00	शून्य	250000.00
10	सर्वश्री वीर बाबा फील्ड, घोसीपुरा रुड़की ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
11	सर्वश्री दो आब भट्टा क0 भा0च0 रुड़की ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
12	सर्वश्री एकता ब्रिक फील्ड, जौरासी ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
13	सर्वश्री जनता ब्रिक फील्ड, लण्डौरा ।	21	250000.00	शून्य	250000.00

14	सर्वश्री किसान ब्रिक कलियर, रुड़की	24	250000.00	शून्य	250000.00
15	सर्वश्री बिरला ब्रिक कम्पनी, लण्ढौरा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
16	सर्व श्री आसरा ब्रिक फील्ड सलारपुर रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
17	सर्वश्री पारस ब्रिक फील्ड गाधारौना रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
18	सर्वश्री षमा ब्रिक सप्लाई, लण्ढौरा।	21	250000.00	शून्य	250000.00
19	सर्वश्री साबरी ब्रिक इण्डस्ट्रीज, गाधारौना।	23	250000.00	शून्य	250000.00
20	सर्वश्री सूरज ब्रिक फील्ड लण्ढौरा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
21	सर्वश्री साबरी ब्रिक फील्ड गाधारौना, अकबरपुर।	23	250000.00	शून्य	250000.00
22	सर्वश्री डमरु ब्रिक फील्ड बिझौनी।	23	250000.00	शून्य	250000.00
23	सर्वश्री मिलाप ब्रिक फील्ड जैनपुरी झंझेरी।	23	250000.00	शून्य	250000.00
24	सर्वश्री टी0आर0 सुरेन्द्र कुमार नगलाईमरती	27	250000.00	शून्य	250000.00
25	सर्वश्री आकाष ब्रिक फील्ड लण्ढौरा	22	250000.00	शून्य	250000.00
26	सर्वश्री आर0के0 ब्रिक नगला ईमरती	26	250000.00	शून्य	250000.00
27	सर्वश्री प्रदीप ईट, उद्योग लण्ढौरा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
28	सर्वश्री गोयल ब्रिक इण्डस्ट्रीज लण्ढौरा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
29	सर्वश्री यूनिक ब्रिक फील्ड ( पूर्व का नाम जय भवानी ब्रिक फील्ड) लण्ढौरा यूनिट-1 प्रथम।	24	250000.00	शून्य	250000.00

30	सर्वश्री यूनिक ब्रिक सप्लाई जैनपुर झंझेरी रुड़की ( पूर्व का नाम अमन ब्रिक फील्ड) यूनिट-2 द्वितीय।	23	250000.00	शून्य	250000.00
31	सर्वश्री गगन ब्रिक उद्योग जबरदस्तपुर लण्ढौरा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
32	सर्वश्री अनिल ब्रिक सप्लाई लण्ढौरा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
33	सर्वश्री अनिल ईट, उद्योग भगवानपुर, चन्दनपुर।	22	250000.00	शून्य	250000.00
34	सर्वश्री महालक्ष्मी ईट उद्योग जैनपुर झंझेरी रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
35	सर्वश्री गगन ब्रिक क0 भगवानपुर चन्दरपुर।	23	250000.00	शून्य	250000.00
36	सर्वश्री गगन ब्रिक सप्लाई टाण्डा भनहेड़ा रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
37	सर्वश्री सिंघल ब्रिक फील्ड, नगलाईमरती।	23	250000.00	शून्य	250000.00
38	सर्वश्री भारत ब्रिक सप्लाई लण्ढौरा	23	250000.00	शून्य	250000.00
39	सर्वश्री भारत ब्रिक फील्ड ढन्ढेरा रुड़की।	23	250000.00	शून्य	250000.00
40	सर्वश्री उत्तरांचल ब्रिक फील्ड ढन्ढेरा रुड़की।	23	250000.00	शून्य	250000.00
41	सर्वश्री मिलन ब्रिक फील्ड लिब्वरहेडी	23	250000.00	शून्य	250000.00
42	सर्वश्री बुलन्द ब्रिक फील्ड जबरदस्तपुर लण्ढौरा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
43	सर्वश्री नरेष ईट उद्योग नगलाईमरती।	23	250000.00	शून्य	250000.00
44	सर्वश्री गणेश ब्रिक फील्ड गाधारोना	23	250000.00	शून्य	250000.00

	रुड़की ।				
45	सर्वश्री त्यागी ब्रिक फील्ड, नागाइमरती ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
46	सर्वश्री त्यागी ब्रिक सप्लाई मुण्डलाना रुड़की ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
47	सर्वश्री हीरा ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर रुड़की	25	250000.00	शून्य	250000.00
48	सर्वश्री हीरा ब्रिक सप्लाई इन्झेरी, भगवानपुर चन्दनपुर ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
49	सर्व श्री चौधरी ब्रिक सप्लाई लिब्वरहेड़ी रुड़की ।	27	250000.00	शून्य	250000.00
50	सर्वश्री चौधरी ब्रिक उद्योग कसमपुर लिब्वरहेड़ी रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
51	सर्वश्री साबरी ब्रिक कम्पनी लण्ढौरा रुड़की ।	27	250000.00	शून्य	250000.00
52	सर्वश्री श्रीराम ईट उद्योग रहमतपुर रुड़की ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
53	सर्वश्री उग्रसेन अमरनाथ भट्टा लण्ढौरा रुड़की ।	21	250000.00	शून्य	250000.00
54	सर्वश्री रुड़की ब्रिक फील्ड रहमतपुर ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
55	सर्वश्री आरजू ब्रिक फील्ड जैनपुर लण्ढौरा, रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
56	सर्वश्री स्वागत ब्रिक फील्ड जैनपुर रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
57	सर्वश्री जमना ईट उद्योग लिब्वरहेड़ी	23	250000.00	शून्य	250000.00
58	सर्वश्री गगन ब्रिक फील्ड भगवानपुर,	27	250000.00	शून्य	250000.00

	चन्दनपुर।				
59	सर्वश्री कृष्णा ब्रिक फील्ड, नगलाइमरती।	23	250000.00	शून्य	250000.00
60	सर्वश्री सजल ब्रिक फील्ड, लणढौरा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
61	सर्वश्री सागर ब्रिक फील्ड, भगवानपुर, चन्दनपुर ( पूर्व का नाम नगर ब्रिक कम्पनी)	23	250000.00	शून्य	250000.00
62	सर्वश्री न्यू स्वागत ब्रिक फील्ड भगवानपुर, चन्दनपुर।	19	250000.00	शून्य	250000.00
63	सर्वश्री षमा ब्रिक फील्ड, गाधारौना रोड़।	23	250000.00	शून्य	250000.00
64	सर्वश्री साबरी ब्रिक उद्योग गाधारौना रूड़की।	23	250000.00	शून्य	250000.00
65	सर्वश्री लोहना ब्रिक फील्ड लिब्बाहेड़ी।	23	250000.00	शून्य	250000.00
66	सर्वश्री साबरी ब्रिक सप्लायर, गाधारौणा रोड़	23	250000.00	शून्य	250000.00
67	सर्वश्री दुर्गा ब्रिक फील्ड, रेलवे रोड़ लणढौरा।	25	250000.00	शून्य	250000.00
68	सर्वश्री ईजहार ब्रिक फील्ड बिजौली।	23	250000.00	शून्य	250000.00
69	सर्वश्री गोल्डन ब्रिक सप्लायर टान्डा भन्हेड़ा।	23	250000.00	शून्य	250000.00
70	सर्वश्री गौरी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर रूड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
71	सर्वश्री अम्बा ब्रिक फील्ड लणढौरा।	27	250000.00	शून्य	250000.00
72	सर्वश्री अषोक ब्रिक फील्ड नगरलाईमरती।	19	250000.00	शून्य	250000.00

73	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड, लिब्वरहेड, रुड़की ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
74	सर्वश्री उत्तम ब्रिक फील्ड, गाधारौना लण्ढौरा ।	21	250000.00	शून्य	250000.00
75	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड क0 लिब्वरहेडी रुड़की ।	27	250000.00	शून्य	250000.00
76	सर्वश्री चौधरी ब्रिक फील्ड द्वितीय नगलाचीना ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
77	सर्वश्री सोमी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
78	सर्वश्री ऑचल ब्रिक फील्ड, बिझौली, रुड़की ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
79	सर्वश्री आदर्ष ब्रिक फील्ड, नत्थूखेडी ।	27	250000.00	शून्य	250000.00
80	सर्व श्री राम ब्रिक फील्ड भगवानपुर चन्दनपुर	27	250000.00	शून्य	250000.00
81	सर्व श्री विश्णु ब्रिक फील्ड, नत्थूखेडी ।	27	250000.00	शून्य	250000.00
82	सर्वश्री के0के0 ब्रिक सप्लायर कलियर ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
83	सर्वश्री रोषन ब्रिक कम्पनी नगलाईमरती ।	19	250000.00	शून्य	250000.00
84	सर्वश्री चॉद ब्रिक उद्योग नगलाईमरती ।	19	250000.00	शून्य	250000.00
85	सर्वश्री साँई ब्रिक फील्ड, बिझौली रुड़की ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
86	सर्वश्री राव ब्रिक फील्ड, ढन्ढेरा ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
87	सर्वश्री नाज ब्रिक कम्पनी पिरपुरा मंगलौर रुड़की ।	19	250000.00	शून्य	250000.00
88	सर्वश्री दो आब ईट उद्योग नगलाईमरती	23	250000.00	शून्य	250000.00



	रुड़की ।				
89	सर्वश्री महालक्ष्मी ईट उद्योग भगवानपुर, चन्दनपुर ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
90	सर्वश्री सवेरा ईट उद्योग नगलाईमरती ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
91	सर्वश्री शिव ब्रिक उद्योग बुडपुरजट, रुड़की ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
92	सर्वश्री अपना ब्रिक फील्ड( नया नाम उत्तराखण्ड ब्रिक फील्ड ) लण्ढौरा	19	250000.00	शून्य	250000.00
93	सर्व श्री दो आब भट्टा कम्पनी, मुण्डलाना, रुड़की ।	27	250000.00	शून्य	250000.00
94	सर्वश्री हिमालय ब्रिक फील्ड रहमतपुर ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
95	सर्वश्री शिवम् ब्रिक फील्ड, नगलाईमरती ।	23	250000.00	शून्य	250000.00
96	सर्वश्री सैनी ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर	23	250000.00	शून्य	250000.00
97	सर्वश्री आदर्श ब्रिक सप्लाई लिब्बाहेड़ी, रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
98	सर्वश्री माँ दुर्गा ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर ।	27	250000.00	शून्य	250000.00
99	सर्वश्री कमल ब्रिक फील्ड, अकबरपुर, ढाडेकी, रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
100	सर्वश्री गोल्डन ब्रिक फील्ड,भन्हेड़ा टाण्डा रुड़की	23	250000.00	शून्य	250000.00
101	सर्व श्री दो आब भट्टा क0 घोरीपुरा मंगलौर	23	250000.00	शून्य	250000.00
102	सर्वश्री बालाजी भट्टा कम्पनी मुण्डलाना रुड़की	27	250000.00	शून्य	250000.00

103	सर्वश्री राना ब्रिक फील्ड, भगवानपुर चन्दनपुर।	23	250000.00	शून्य	250000.00
104	सर्वश्री षान ब्रिक फील्ड गाधारौना रोड़ रुड़की	22	250000.00	शून्य	250000.00
	कुल योग :-		<b>26000000.00</b>	शून्य	<b>26000000.00</b>

## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर:-05 विनियमतीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क न लिए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹1.74 करोड़।**

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1, कार्यालय जाप सं. 1758/VII-1/16/68-रिट/08 देहरादून दिनांक 19.11.2016 के अंतर्गत उत्तराखण्ड स्टोन क्रैशर अनुज्ञा नीति 2016 के बिन्दु 2(ज) के अनुसार जिला हरिद्वार का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र है। उपरोक्त नीति के बिन्दु 9 के अनुसार पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रैशर स्वामियों को इस नीति की घोषणा के बाद 15 दिन के भीतर अपने प्लांट की क्षमता (टन/घण्टा के अनुसार) घोषित किया जाना था। घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लान्ट का विनियमतीकरण जिलाधिकारी एवं निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाना था। विनियमितीकरण शुल्क की गणना घोषित क्षमता के आधार पर नीति के अध्याय-II के अनुसार किया जाना था। इस राशि में से प्लान्ट स्वामी द्वारा जमा कराये गए आवेदन पत्र शुल्क को घटाये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराया जाना था। नीति की घोषणा के एक माह बाद ई प्रपत्र "जे" केवल विनियमितीकरण प्लान्ट को ही जारी किया जाना था। आगे अध्याय-II के अनुसार मैदानी क्षेत्र हेतु स्टोन क्रैशर का आवेदन शुल्क ₹10.00 लाख (क्षमता 100 टन/घण्टा तक) निर्धारित था। अध्याय-III के अनुसार स्टोन क्रैशर का नवीनीकरण वार्षिक शुल्क निर्धारित आवेदन शुल्क का 25 प्रतिशत था।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 24 स्टोन क्रैशर स्वामियों द्वारा आतिथि तक (जुलाई,2018) तक विनियमितीकरण व नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया है (विवरण पत्र संलग्न), विनियमितीकरण व नवीनीकरण शुल्क जमा न करने के कारण ₹17400000/- (₹11400000 + ₹ 6000000) की हानि हुई है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन कर,जांचोपरांत कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः विनियमतीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क न लिए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹1.74 करोड़ का प्रकरण उच्चाधिकारियों/ शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## संलग्नक

शासनादेश दिनांक 19/11/2016 के अनुसार स्टोन क्रेशर स्वामियों द्वारा विनियमितीकरण एवं नवीनीकरण आतिथि तक न करने वाले स्टोन क्रेशरों का विवरण

क्र. सं.	स्टोन क्रेशर का नाम	स्टोन क्रेशर के प्रतिदिन क्षमता (टन में)	स्टोन क्रेशर की अनुमति की वैधता दिनांक	जमा आवेदन/ नवीनीकरण शुल्क	विनियमितीकरण शुल्क (₹ 10.00 लाख - जमा शुल्क) का 50%)	दिनांक 19.11.2016 के अनुसार आवेदन शुल्क	19.11.2016 के रण/वार्षिक आवेदन शुल्क का
1.	मै0 महालक्ष्मी ग्रामोद्योग संस्थान, चांदपुर (तहसील हरिद्वार)	200	28-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
2.	मै0 शिव शक्ति स्टोन क्रेशर, कटारपुर, हरिद्वार (तहसील हरिद्वार)	200	18-11-2016 से 18-11-2021	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
3.	मै0 गढ़वाल स्टोन क्रेशर बंजारेवाला (तहसील भगवानपुर)	200	11-11-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
4.	मै0 श्री कृष्णा ग्रिट उद्योग भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	400	26-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
5.	मै0 त्रिरूपति स्टोन क्रेशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	200	10-11-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
6.	मै0 ए0 पी0 एशोसिएट, सजनपुर पीली, हरिद्वार (तहसील हरिद्वार)	800	19-11-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख

7.	मै0 दुर्गा ग्रामोद्योग संस्थान, बंजारेवाला (तहसील भगवानपुर)	200	18-11-2016से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
8.	मै0 जयदुर्गे स्टोन क्रेशर, इब्राहिमपुर	200	22-11-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
9.	मै0 साईसा स्टोन क्रेशर, बिशनपुर	200	24-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
10.	मै0 महावीर स्टोन क्रेशर इब्राहिमपुर	300	27-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
11.	मै0 नीरज स्टोन क्रेशर, रानीपुर झाल	200	03-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
12.	मै0 गंगा स्टोन क्रेशिंग कंपनी इब्राहिमपुर	200	01-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
13.	मै0 राम स्टोन क्रेशर इब्राहिमपुर	200	28-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
14.	मै0 वर्धमान स्टोन क्रेशर भोगपुर	200	27-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
15.	मै0 शुभम स्टोन क्रेशर, इब्राहिमपुर	320	26-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
16.	मै0 श्री इंडस्ट्रीज स्टोन क्रेशर भोगपुर	100	24-10-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
17.	मै0 इंडिया स्टोन क्रेशर दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधचाशहीद, (तहसील भगवानपुर)	200	20-07-2016 से 23-10-2018	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख

18.	मै0 इंडेवर स्टोन क्रेशर सजनपुर पीली (तहसील हरिद्वार)	300	04-03-2014 से 03-03-2016	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
19.	श्री जी स्टोन क्रेशर भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	200	03-06-2016 से 20-12-2018	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
20	दशमेश स्टोन क्रेशर, भोगपुर (तहसील हरिद्वार)	200	16-04-2014 से 15-04-2016	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
21.	मै0 देव भूमि स्टोन क्रेशर बंजारेवाला (तहसील भगवानपुर)	200	--से --	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
22.	मै0 खालसा स्टोन क्रेशर बंजारेवाला (तहसील भगवानपुर)	200	16-8-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
23.	मै0 स्टार पोली इंडस्ट्रीज शाखा शिव ग्रिट उद्योग स्टोन क्रेशर ग्राम फेरुपुर रामखेड़ा (तहसील हरिद्वार)	200	27-12-2016 से 05 वर्ष तक	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
24.	मै0 लक्ष्मी स्टोन क्रेशर ग्राम बंजारेवाला गंट (तहसील भगवानपुर)	200	07-10-2016 से 23-12-2019	₹50,000	₹475000	10.00 लाख	2.50 लाख
					<b>11400000</b>		<b>6000000</b>

## भाग 2 (ब)

**प्रस्तर:-02 शासनादेश के अनुसार सचल दलों का गठन नहीं किया जाना।**

प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन पत्रांक 1747/VII-1-10/198-ख/207 दिनांक 12 जुलाई 2010 के द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की रोकथाम, बाजार में खनिजों के मूल्यों पर नियंत्रण रखे जाने के उद्देश्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ड्रिलिंग कर्मचारियों तथा फील्ड परिचर आदि को खनिज मोहरिर के साथ सम्मिलित करते हुए राजकीय वाहन सहित खान अधिकारी/खान निरीक्षक के नेतृत्व में सचल दलों का गठन करने के निर्देश दिये गए थे।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रिटेल भंडारण पंजिका के अनुसार 68 रिटेल भंडारण के संचालक दर्ज पाये गए । हरिद्वार जिला विकासशील है। बहुत अधिक मात्रा में निरन्तर निर्माण कार्य चल रहा है। बहुमंजिला इमारतें भी निरन्तर बन रही हैं। लेकिन विभाग द्वारा प्रस्तुत पंजिका के अनुसार दर्शाये गए पंजीकृत रिटेल भंडारण अत्यधिक कम है। जबकि जिले के अंतर्गत अत्यधिक संख्या में रिटेल भंडारण विना किसी अनुज्ञा के संचालित हो सकते हैं। सचल दल का गठन न होने के कारण जिले में अवैध खनन, परिवहन, एवं भंडारण का खुलेआम व्यवसाय चल रहा है। इससे शासन को राजस्व क्षति हो रही है।

उक्त शासनादेश के क्रम में सचल दल का गठन किया जाना अति आवश्यक है। लेकिन विभाग द्वारा सचल दल का गठन न किया जाना राजस्व प्राप्ति के प्रति उदासीनता का घोटक है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया गया कि शासन/निदेशक द्वारा सचल दल का गठन किया जाना अपेक्षित है।

अतः उक्त प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग 2 (अ)

**प्रस्तर:-06 भंडारण का नियमानुसार आवेदन शुल्क न लेने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹1.67 करोड़।**

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1, अधिसूचना संख्या-96/VII-1/2016/158-ख/2004 देहरादून, 22 जनवरी, 2016 के नियम-2(1) (ट) के अनुसार जनपद हरिद्वार का सम्पूर्ण भाग मैदानी क्षेत्र खनिज भण्डारण हेतु 1000 घनमीटर तक के लिये आवेदन शुल्क ₹0.60 लाख (साठ हजार) तथा इससे अधिक क्षेत्रफल एवं मात्रा हेतु प्रत्येक 1000 घनमीटर या उसके भाग पर अतिरिक्त ₹0.60 लाख आवेदन शुल्क देय होगा।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मै0 श्री राम स्टोन क्रेशर, शाहपुर शीतला खेड़ा स्टोन क्रेशर दिनांक 31-03-2016 से 30-03-2019 तक भंडारण क्षमता 280000 घन मीटर हेतु स्वीकृत किया गया था। उक्त स्टोन क्रेशर भंडारक द्वारा उल्लिखित नियमानुसार/ नीतिनुसार आवेदन शुल्क ₹1,68,00,000 जमा करना अपेक्षित था। जबकि भंडारणकर्ता द्वारा रु. 100000/- जमा किया गया था। इस प्रकार भंडारणकर्ता द्वारा जमा न करने के कारण ₹1,67,00,000 की हानि हुई।

प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 851/VII-1/2016/158-ख/2004 दिनांक 19-05-2016 के अनुसार भंडारण हेतु आवेदन शुल्क ₹ 100000/- निर्धारित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा दिया गया उक्त आदेश स्टोन क्रेशर के भंडारण की स्वीकृति के बाद लागू/जारी किया गया था।

अतः भंडारण का नियमानुसार आवेदन शुल्क न लेने के फलस्वरूप राजस्व क्षति ₹1.67 करोड़ का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।



## भाग 2 (अ)

प्रस्तर :07 रिवर ट्रेनिंग व विकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹48.22 लाख ।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1689/VII-1/80-ख/2016, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के अनुसार उप खनिज की निकासी हेतु निगमों तथा निजी भूमि में निम्नानुसार दरों से शुल्क निर्धारित किया जाना था:-

- 1- रॉयल्टी
- 2- स्टॉप शुल्क रॉयल्टी का 2 प्रतिशत
- 3- रिवर ट्रेनिंग एवं विकास शुल्क रॉयल्टी का 15 प्रतिशत
- 4- विकास शुल्क रॉयल्टी का 10 प्रतिशत
- 5- क्षतिपूर्ति रॉयल्टी का 15 प्रतिशत

6- पट्टाधारकों के द्वारा किया गया खर्च यथा पर्यावरणीय अनुमति खर्च, सीमांकन खर्च, आवेदन खर्च आदि रॉयल्टी का 1 प्रतिशत एवं उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 1621/VII-1/2017/8ख/16, दिनांक 17 नवंबर, 2017 उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10 (2) 5 न्यास निधि हेतु अंशदान के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी का 25 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त रूप से जमा करेंगे। यह दिनांक 12 जनवरी, 2015 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

कार्यालय जिला खान अधिकारी हरिद्वार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि सरकारी निर्माण इकाइयों के द्वारा सीधे जमा की गयी रॉयल्टी का विवरण मांगा गया, जिसमे से 05 इकाइयों द्वारा कुल रॉयल्टी ₹12056071.00 सीधे जमा की गई थी, का 40 प्रतिशत धनराशि ₹ 4822428.00 (12056071 x 40%) जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा किया जाना था,(विवरण संलग्न) जिसको जमा किया जाने का कोई विवरण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः रिवर ट्रेनिंग व विकास शुल्क एवं क्षतिपूर्ति न लिए जाने के परिणामस्वरूप राजस्व क्षति ₹48.22 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

## संलग्नक

जिला हरिद्वार के निर्माण इकाई कार्यालयों के द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि का विवरण

क्रसं	निर्माण इकाई का नाम	बिना अनुज्ञा पत्र/खनन पट्टा के ही उपखनिज प्रयुक्त कर जमा की गई रॉयल्टी की धनराशि
1	अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड लक्सर, हरिद्वार	-
2	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खंड, हरिद्वार	2146128.00
3	अधिशाली अभियंता, निर्माण खंड पी0डब्लू0डी0, रुड़की	6353667.00
4	अधिशाली अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग (RWD), हरिद्वार	2588650.00
5	अधिशाली अभियंता, सिंचाई अनुसंधान संस्थान खण्ड, रुड़की	Nil
6	अधिशाली अभियंता, ट्यूब वेल खण्ड, रुड़की	Nil
7	अधिशाली अभियंता, ट्यूब वेल खण्ड, बाहदराबाद, हरिद्वार	-
8	अधिशाली अभियंता, सिंचाई खण्ड, रुड़की	-
9	अधिशाली अभियंता, प्रांतीय खंड पी0डब्लू0डी0, हरिद्वार	938884.00
10	अधिशाली अभियंता, पेयजल निर्माण निगम, हरिद्वार	-
11	अधिशाली अभियंता, लघु सिंचाई खंड, हरिद्वार	28742.00
12	अधिशाली अभियंता, अभिकल्प खण्ड,(design Divison) रुड़की	Nil
13	अधिशाली अभियंता, सिंचाई जल स्रोत खण्ड बाहदराबाद, हरिद्वार	-
14	अधिशाली अभियंता, PMGSY खण्ड, हरिद्वार	-
	<b>योग</b>	<b>12056071</b>

**भाग 2(ब)**

**प्रस्तर-03 मासिक विवरणियां प्रस्तुत न करने पर अर्थदंड का अनारोपण ₹ 7.20लाख. ।**

उत्तराखंड शासन औद्योगिक विकासअनुभाग-1 सं. 1873/VII-1/16/158-ख/ 04टीसी देहरादून : दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के नियम-13(2)(ड) के अनुसार भण्डारणकर्ता द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत न करने पर ₹2000/- का अर्थदंड आरोपित किया जाने का प्रावधान है ।

कार्यालय जिला खान अधिकारी के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रिटेल भण्डारणकर्ताओ द्वारा मासिक विवरण प्रस्तुत नहीं किये गए थे । विभाग द्वारा रिटेल भण्डारकर्ताओ को मासिक विवरणी जमा न करने पर नोटिस निर्गत नहीं किया गया और अर्थदंड भी अधिरोपित नहीं किया गया था । 31 स्टोन क्रेशर भण्डारणकर्ताओ पर अर्थदण्ड अधिरोपित न करने के फलस्वरूप ₹ 720000/- की राजस्व क्षति हुयी (विवरण पत्र संलग्न)।

उक्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि जांचोपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

जनपद हरिद्वार के अंतर्गत खनिज भंडारणकर्ताओं के खनिज सम्बन्धी मासिक विवरणी की सूची।					
क्रम संख्या	भण्डारण कर्ता का नाम	स्वीकृत अवधि	माह जिनके मासिक विवरणी नहीं/विलम्ब से जमा की गयी	कुल माह	अर्थदण्ड की धनराशि
1.	श्री बाबूराम पुत्र श्री कुन्दन, नजीबाबाद, हरिद्वार	20-08-16 से 19-08-18	04/17 से 03/18	12	24000
2.	श्री इसरार पुत्र श्री जमीर हसन, लक्सर, हरिद्वार	05-12-16 से 04-12-18	04/17 से 03/18	12	24000
3.	श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री राजाराम शीतल खेडा, हरिद्वार	12-09-16 से 11-09-18	04/17 से 03/18	12	24000
4.	श्री तेजपाल सिंह पुत्र राम किशन डालूपुरी, लालढांग	04-01-17 से 03-01-19	04/17 से 02/18	11	22000
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार दावसे पुत्र श्री मनफूल सिंह	22-10-16 से 21-10-18	04/17 से 03/18	12	24000
6.	श्री सतीश पुत्र श्यामलाल धारीवाला	04-07-16 से 03-07-18	04/17 से 03/18	12	24000
7.	श्री अरविन्द कुमार पुत्र स्व० धीर सिंह प्रीत विहार रूड़की	22-11-16 से 21-11-18	04/17 से 03/18	12	24000
8.	श्री सोमपाल पुत्र श्री मदन लाल सिंह विशनपुर	01-09-16 से 31-08-18	04/17 से 03/18	12	24000
9.	श्री नदीम अहमद पुत्र श्री उम्र आदिल	28-06-16 से 27-06-18	04/17 से 03/18	12	24000
10.	प्रवीन नौटियाल पुत्र श्री जी० बी० नौटियाल अरण्य विहार	07-05-16 से 06-05-19	04/17 से 03/18	12	24000
11.	श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री समीर चन्द्र भोगपुर तिलकपुरी	02-11-16 से 01-11-18	04/17 से 03/18	12	24000
12.	श्री सुभाष चंद पुत्र श्री ओमपाल सिंह, पोस्ट- चुडियाला	23-12-16 से 22-12-18	04/17 से 3/18	12	24000
13.	शमशेर अली पुत्र श्री कालू हसन हबीबपुर कुड़ी	17-11-16 से 16-11-18	04/17 से 03/18	12	24000
14.	श्री रामलाल सिंह पुत्र ज्वाला सिंह टिकोला, शाहपुर शीतलाखेडा	20-07-16 से 19-07-18	04/17 से 03/18	12	24000
15.	श्री राजेंद्र काट्रेक्टर पुत्र हरपाल सिंह, भूरना, लक्सर	20-07-16 से 19-07-18	04/17 से 03/18	12	24000
16.	शीशपाल पुत्र कालू बंजारेवाला	28-10-16 से 27-10-18	04/17 से 10/17 एवं 03/18	08	16000
17.	श्री अनिल कुमार पुत्र स्व० श्री चन्द्र किरण शर्मा भोगपुर	13-06-16 से 12-06-18	04/17 से 03/18	12	24000
18.	श्री राहुल चौधरी पुत्र श्री तेजपाल चौधरी, भोगपुर	21-09-16 से 20-09-18	04/17 से 03/18	12	24000
19.	श्री मनिंदर सिंह पुत्र श्री गुरदीप, माजरी	28-12-16 से 27-12-18	04/17 से 03/18	12	24000
20.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सलेख चन्द्र बादशाहपुर	24-09-16 से 23-09-18	04/17 से 03/18	12	24000

21	श्री सत्यपाल पुत्र उदय सिंह, नई कुण्डी, बिशनपुर, झारडा	04-07-16 से 03-07-18	04/17 से 03/18	12	24000
22	श्री राजकुमार पुत्र बब्बर भान, भोगपुर	04-07-16 से 03-07-18	04/17 से 03/18	12	24000
23	श्री वेदपाल सिंह राना पुत्र श्री जसराम, धारीवाला	13-07-16 से 12-07-18	04/17 से 03/18	12	24000
24	श्रीराना कुवर प्रताप पुत्र इन्दपाल सिंह, बाजपुर	04-01-17 से 03-01-19	04/17 से 03/18	12	24000
25	श्री संजय कुमार गर्ग पुत्र श्री निरंजन कुमार गर्ग, भोगपुर	20-08-16 से 19-08-18	04/17 से 03/18	12	24000
26	श्रीसौराज सिंह पुत्र श्री श्याम लाल भौरी, रूडकी	04-07-16 से 30-07-18	04/17 से 03/18	12	24000
27	श्री हरदेव सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह, समसुपरकटेवड़	30-03-16 से 29-03-19	12/17 से 03/18	04	8000
28	श्री मो०मुर्करम पुत्र श्री असगर अली	30-04-16 से 29-04-19	04/17 से 03/18	12	24000
29	श्री सुरेश पालपुत्र श्री करताराम रायसी, लक्सर	03-01-17 से 02-01-19	04/17 से 03/18	12	24000
30	श्री संदीप पुत्र सौरण सिंह धारीवाल	04-07-16 से 03-07-18	04/17 से 03/18	12	24000
31	श्री शिव कुमार लक्सर	16-09-16 से 15-09-18	04/07 से 03/18	12	24000
कुल				359	₹718000

**भाग-III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
02/2016-17	01	01,02,03
32/2017-18	01,02	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों की अनुपालन आख्या : विभाग द्वारा अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण: व्यय नहीं किया जाता है।

**भाग-IV****इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य

**भाग-v****आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला खान अधिकारी, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

**2.सतत्अनियमितताएं: शून्य****3.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रमसं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री दिनेश कुमार	उपनिदेशक,

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला खान अधिकारी, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/उपमहालेखाकार (राजस्वक्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा  
अधिकारी/राजस्व**